राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

प. 7(2)कार्मिक/क–2/81 पार्ट जयपुर, दिनांक 27 DEC 2021

परिपत्र

विषयः– आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची के साथ ही विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत तक आरक्षित सूची भी तैयार किये जाने का प्रावधान है। आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में परिपत्र दिनांक 19.07.2001, 13.01.2016 एवं 26.04.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। सेवा नियमों के स्पष्ट प्रावधान एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी विस्तृत निर्देशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षित सूची का क्रियान्वयन करने में विभागों के सामने समस्याऍं आती रही है, अतः यह महसूस किया गया है कि इस विषय में भर्ती संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर उठाये जाने वाले मुद्दों के प्रकाश में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को समेकित करते हुए नवीन निर्देश जारी किया जाना उचित है। अतः आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सुस्पष्टतया अभिनिर्धारित किया गया है कि आरक्षित सूची तैयार करना, आरक्षित सूची की वैद्यता अवधि एवं इसका प्रवर्तन सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार ही होगा। विभिन्न सेवा नियमों में आरक्षित सूची के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"the Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be, may, to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list category wise. The names of such candidates may, on requisition, be recommended in the order of merit to the Appointing Authority, within six months from the date on which the original list is forwarded by them/it to the Government/Appointing Authority, as the case may be."

सेवा नियमों के उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि :

1. चयन सूची के पश्चात आरक्षित सूची तैयार किया जाना बाध्यकारी नही है तथापि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु आरक्षित सूची तैयार किया जाना अपेक्षित है।
2. आरक्षित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक हो सकती है।
3. भर्ती संस्था द्वारा चयन की मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि के अन्दर ही आरक्षित सूची राज्य सरकार को प्रेषित की जा सकती है अर्थात मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आरक्षित सूची की अनुशंषा (recommendation) नहीं की जा सकती है।

आरक्षित सूची का प्रवर्तन करने के सम्बन्ध में भर्ती संस्थाओं और प्रशासनिक विभागों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा जाता रहा है–

1. चयन उपरांत मुख्य सूची एक से अधिक टुकड़ों में प्रेषित करने की स्थिति में आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना किस दिनांक से की जाये ?
2. विभाग द्वारा चयन की मुख्य सूची प्राप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर भर्ती संस्था को आरक्षित सूची प्रेषित करने की अनुशंषा करने पर क्या भर्ती संस्था द्वारा 6 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी आरक्षित सूची से नाम प्रेषित किये जा सकते है?
3. क्या विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आरक्षित सूची से भरा जा सकता है?
4. किसी नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने के उपरांत त्यागपत्र दिये जाने अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को क्या आरक्षित सूची से भरा जा सकता है?
5. विभाग को चयन की मुख्य सूची प्राप्त होने के पश्चात न्यायिक विवाद उत्पन्न होने एवं उसके कारण मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची के प्रवर्तन में विलम्ब की स्थिति में 6 माह की अवधि की गणना किस प्रकार की जायेगी?
6. नवीन भर्ती प्रारम्भ होने का आरक्षित सूची पर क्या प्रभाव होगा तथा नवीन भर्ती का प्रारम्भ कब माना जायेगा?

उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–

1. परिपत्र दिनांक 18.10.2021 द्वारा यह निर्देश जारी किये जा चुके है कि भर्ती संस्था द्वारा चयन सूची टुकड़ो में प्रेषित न कर एक साथ ही प्रेषित की जायेगी। अतः आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि से की जायेगी। मुख्य सूची प्रेषित करते समय यदि बहुत कम संख्या में नाम (कुल प्राप्त रिक्तियों का 10 प्रतिशत से कम) अपरिहार्य कारणों से प्रेषित नहीं किये जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात प्रेषित किये जाते है तो ऐसे प्रकरणों को आपवादिक माना जायेगा तथा इस अनुशंषा (recommendation) की तिथि पर आरक्षित सूची के प्रवर्तन के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा तथा 6 माह की अवधि के लिए तिथि की गणना मूल सूची प्रेषित करने की तिथि से ही की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में अपरिहार्य कारण से कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नाम मुख्य सूची प्रेषित करने के पश्चात कालान्तर में प्रेषित किये जाते है तो उस स्थिति में समयावधि की गणना चयन की अन्तिम अनुशंषा(recommendation) प्रेषित करने की तिथि से की जायेगी।
2. सेवा नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती संस्था द्वारा मूल सूची प्रेषित करने की तिथि से 6 माह के भीतर आरक्षित सूची से नाम प्रेषित किये जा सकते है। यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में आरक्षित सूची से नाम प्रेषित करने हेतु अर्थना करने के बाद भी भर्ती संस्था द्वारा 6 माह की अवधि के पूर्ण होने तक आरक्षित सूची से नाम प्रेषित नहीं किये जाते हैं, तो 6 माह की अवधि समाप्त होते ही आरक्षित सूची समाप्त हो जायेगी तथा उसके पश्चात भर्ती संस्था को आरक्षित सूची से नाम चयन हेतु अनुशंषित करने का अधिकार नहीं होगा। चूंकि विभाग से आरक्षित सूची हेतु अभिशंषा(recommendation)

प्राप्त होने के पश्चात भर्ती संस्था स्तर पर अनेक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होती है, अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आरक्षित सूची से नाम प्राप्त करने हेतु विभाग की अभिशंषा भर्ती संस्था के पास 6 माह की अवधि समाप्त होने के न्यूनतम 45 दिवस पूर्व पहुँच जानी चाहिए। आरक्षित सूची से नाम प्राप्त करने हेतु उक्त समय सीमा के अंदर भर्ती संस्था के पास अर्थना नही पहुँचने के कारण प्रतीक्षा सूची का क्रियान्वयन नही होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

3. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित सूची भर्ती का स्त्रोत नहीं हो सकती है। किसी भी भर्ती में आरक्षित सूची भर्ती विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ में ही तैयार की जाती है तथा इसका उद्देश्य चयन उपरांत नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण न करने से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरना होता है। सेवा नियमों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी भर्ती में चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण उपरांत परिणाम जारी होने से पूर्व रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। उक्त नियमानुसार किसी भर्ती में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि किये जाने पर संशोधित रिक्तियों को नियमानुसार विज्ञापित किया जाना आवश्यक है तथा किसी भी भर्ती में रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में अन्तिम संशोधित विज्ञापन में प्रदर्शित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी रिक्ति को उस भर्ती की आरक्षित सूची से नहीं भरा जा सकेगा।
4. किसी रिक्त पद पर नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है तथा उस पद पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नही रहता है। कार्यग्रहण करने के उपरांत त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रिक्ति को नवीन रिक्ति ही माना जावेगा तथा उस रिक्ति को नवीन भर्ती प्रक्रिया द्वारा ही भरा जा सकेगा।
5. कई बार मुख्य सूची अनुशंषित करने के पश्चात न्यायिक स्थगन के कारण मूल सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने में विलम्ब हो जाता है, तथा इस दौरान मूल सूची अनुशंषित करने की तिथि से 6 माह की अवधि पूर्ण हो जाती है अथवा अत्यन्त अल्प समय शेष रहता है, जिसमें कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश निरस्त करना तथा आरक्षित सूची से नाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय आदि कार्यो के लिए पर्याप्त समय शेष नहीं रहता है जिससे आरक्षित सूची के प्रवर्तन में समस्या आती है। इसके अलावा कई प्रकरणों में न्यायालय आदेश अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से संशोधित/पुनः परिणाम जारी किया जाता है उनमें भी मूल सूची से समयावधि की गणना करने में समस्याएँ आती है क्योंकि संशोधित/पुनः परिणाम में बडी संख्या में नवीन अभ्यार्थियों का चयन होना तथा उनमें से अभ्यर्थियों का कार्यग्रहण न किया जाना सम्भव हो सकता है।

   इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल सूची अनुशंषित करने के पश्चात भर्ती प्रकिया पर न्यायालय स्थगन हो जाने की स्थिति में आरक्षित सूची के प्रवर्तन के लिए 6 माह की अवधि की गणना करने के लिए स्थगन अवधि को निकालते हुए गणना की जायेगी। संशोधित/पुनः परिणाम के प्रकरणों में समयावधि की गणना पुनः परिणाम के पश्चात चयन सूची अनुशंषा करने की तिथि से की जायेगी।
6. आगामी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये जाने को नवीन भर्ती का प्रारम्भ बिन्दु माना जायेगा। परंतु जिन प्रकरणों में नवीन विज्ञापन प्रकाशित होने पर प्रक्रियाधीन भर्ती में

कार्यग्रहण न करने से प्राप्त रिक्तियों को नवीन भर्ती की अर्थना/विज्ञापन में शामिल नही किया गया हो, उनमें प्रक्रियाधीन भर्ती मे मूल सूची की अनुशंषा (recommendation) प्रेषित करने की तिथि से 6 माह की अवधि अथवा नवीन भर्ती में परीक्षा होने की तिथि जो भी पहले हो, तक आरक्षित सूची का प्रवर्तन किया जा सकेगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रक्रियाधीन भर्ती में आरक्षित सूची का क्रियान्वयन न्यायिक स्थगन के कारण समय पर नही हो पाता है, एवं रिक्त रहे पदों को नवीन भर्ती में भी शामिल नही किया गया है, तो आरक्षित सूची के प्रवर्तन के लिए 6 माह की अवधि की गणना स्थगन अवधि को निकालते हुए की जायेगी एवं उक्त स्थिति में नवीन भर्ती की परीक्षा आयोजित होने के उपरांत भी मूल सूची प्रेषित किये जाने की 6 माह की अवधि तक आरक्षित सूची का प्रवर्तन किया जा सकेगा।

सभी विभाग भर्तियों में आरक्षित सूची को लागू करने के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करे।

24/12/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

60/2021